

मु.नं. 74/11 रामचंद्र / रामप्रसाद व अन्य


17/6/21 कोसेवा
प्रसाद वि. प्रेम कायदा
दिनांक 22/7/21
को पेश हो।

22/7/21 सायराजकावेवार।
प्रसाद वि. ऑफीसर दारे / अवकाश
पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक 26/8/21
को पेश हो।

26.8.21 प्रसाद वि. ऑफीसर दारे / अवकाश
पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक 01.10.21
को पेश हो।

01/10/21 प्रसाद वि. ऑफीसर दारे / अवकाश
पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक 25/10/21
को पेश हो।

25/10/21 आज यह पत्रावली प्रसादन गांव के खेड
अभियान ग्राम नांगल कोडु में पेश हुई। वकी
आदि कर्ता उपोपकरण में सुना गया।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद
स्थार निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रतिवादी
को स्थार निषेधाज्ञा से पाबंद कालान
का अनुलोष प्राप्त गया है। प्रतिवादी
सं. 1 व 2 वादी के सहकार्यदार है।
कानून: एक सहकार्यदार, इसर सहकार्यदार
को स्थार निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं
काला सकता है। अतः वादी का वाद
प्रोषनीय (मेनेटेनकल) नहीं देने के कारण
रिजार्ज किया जा रहा है। डिडी जारी है।
पत्रावली फिलहाल सुमाग लोक एज नम्बर
से कम हो तथा दारिद्र्य दान्त रहे।


M. H. G. D. Kam,
CO.

सहायक कलक्टर
चौमू (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूँ जयपुर
प्रशासन गांवों के संग अभियान, ग्राम नांगलकोजू/कंवरपुरा
पीठासीन अधिकारी :- श्री हर्षित वर्मा (R.A.S.)

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र हनुमान (मृतक दौराने दावा)
 - 1/1 ज्याना देवी पत्नि स्व0 रामचन्द्र
 - 1/2 बजरंगलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
 - 1/3 गजानन्द यादव पुत्र स्व0 रामचन्द्र
 - 1/4 शंकरलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
 - 1/5 तुलसी देवी पुत्री स्व0 रामचन्द्र
 - 1/6 सन्तोष देवी पुत्री स्व0 रामचन्द्र
 - 1/7 राजू देवी पुत्री स्व0 रामचन्द्र
- समस्त जातियान अहीर, निवासियान ग्राम नांगल कोजू, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर (राज0)।

-वादीगण

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र बदरी
2. तेजपाल पिता कानाराम
समस्त जातियान अहीर, निवासी ग्राम नांगल कोजू, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर (राज0)।
3. सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड चौमूँ, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण


दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं0:-74/2011

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री हर्षित वर्मा आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

वादी का वाद पोषणीय (मेन्टेनेबल) नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।


सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा
करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 25.10.2021 को जारी किया
गया।

मोहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर
ओहदा.....चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	2
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	2

.....
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)